प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ</u>

<u>कोरमः</u> माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधिपतिगण

<u>प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 47/2008</u>

अपीलार्थीः अशफाक कुरैशी

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः आयशा कुरैशी (निवेदिता यादव)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 128/2008</u>

अपीलार्थीः अशफाक कुरैशी

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः आयशा कुरैशी (निवेदिता यादव)

<u>विचार हेतु निर्णय</u>

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. चंद्राकर

मैं सहमत हूँ

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

निर्णय उद्घोषित करने हेतु दिनाँक 19 मार्च, 2010 को सूचीबद्घ करें ।

सही/-

टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरमः **माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं**
माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधिपतिगण

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 47/2008

अपीलार्थीः अशफाक कुरैशी पिता अब्दुल सलीम कुरैशी

(प्रतिवादी) आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी- कन्हैयापुरी केशासीडीह के पास,दुर्ग, तहसील एवं जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः आयशा कुरैशी (निवेदिता यादव) पिता प्रमोद यादव

(वादी) आयु 22 वर्ष निवासी- गयानगर दुर्ग,तहसील एवं जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 128/2008

अपीलार्थीः अशफाक कुरैशी पिता अब्दुल सलीम कुरैशी

(वादी) आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी- कन्हैयापुरी केशासीडीह के पास,दुर्ग, तहसील एवं जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः आयशा कुरैशी (निवेदिता यादव) पिता प्रमोद यादव

(प्रतिवादी) आयु 22 वर्ष निवासी- गयानगर दुर्ग,तहसील एवं

जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

{कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन प्रस्तुत प्रथम अपील}

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता : सुश्री फौजिया मिर्जा

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता : डॉ. एन.के. शुक्ला (वरिष्ठ अधिवक्ता) और श्री शैलेन्द्र शुक्ला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(19 मार्च, 2010)

इस न्यायालय का यह निम्नलिखित निर्णय **टी.पी. शर्मा, न्यायाधिपति** द्वारा पारित किया गया

1. प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 47/2008 और 128/2008, जो दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (संक्षिप्त में 'कुटुम्ब न्यायालय') द्वारा दिनाँक 6-2-2008 को व्यवहार वाद क्रमांक 157**A**/2007 और 158**A**/2007 में पारित समान निर्णय और आदेश से संबंधित हैं, का इस एक ही निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा हैं।

2. प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 128/2008 के अन्तर्गत, अपीलार्थी ने प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 157**A**/2007 में दिनाँक 6-2-2008 को पारित कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति की विधिमान्यता एवं उपयुक्तता को चुनौती दी है जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की याचिका खारिज कर दी गई थी।

3. प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 47/2008 के अन्तर्गत, अपीलार्थी ने प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक में 6-2-2008 को पारित कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति की विधिमान्यता एवं उपयुक्तता को चुनौती दी है। इस निर्णय में कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत विवाह को अवैध घोषित करने के वाद को स्वीकार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी ने इस आधार पर निर्णय एवं आज्ञप्ति की विधिमान्यता एवं उपयुक्तता को चुनौती दी है कि उभयपक्ष मुस्लिम धर्म से हैं और वैधानिक रूप से पति-पत्नी हैं। अतः कुटुम्ब न्यायालय को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन विवाह को शून्य घोषित करने हेतु वाद की सुनवाई की अधिकारिता नहीं थी। कुटुम्ब न्यायालय ने यह भी त्रुटिपूर्ण रुप से अभिनिर्धारित किया है कि उभयपक्ष के मध्य विवाह नहीं हुआ था।

5. इन अपीलों के निराकरण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य, व्यवहार वाद क्रमांक 158**A**/2007 में पक्षकारों के कथनानुसार, यह है कि प्रत्यर्थी एक हिंदू महिला है और उसने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। अपीलार्थी इस्लाम धर्म का सदस्य है। प्रत्यर्थी ग्राम बड़ेपुरदा में शिक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत थी और वह ज़िया ट्रैवल्स की मिनी बस से दुर्ग से लिटिया चौक तक यात्रा करती थी। अपीलार्थी ज़िया ट्रैवल्स में चेकर के रूप में कार्यरत था। यात्रा के दौरान, दोनों की मुलाक़ात हुई। दिनाँक 3-8-2006 को, जब प्रत्यर्थी ज़िया ट्रैवल्स की मिनी बस में यात्रा कर रही थी, तो अपीलार्थी ने उसे डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट दी, जिसे उसने स्वीकार कर खा लिया और वह बेहोश हो गई। शाम को प्रत्यर्थी अपने घर वापस आ गई। वह दिनाँक 20-11-2006 तक उसी बस से यात्रा करती रही। दिनाँक 22-11-2006 को, अपीलार्थी ने पहली बार प्रत्यर्थी से कहा कि उसने दिनाँक 3-8-2006 को गंडई में *मदरसा* में उससे निकाह कर लिया है और निकाह का प्रमाणपत्र भी दिखाया। अपीलार्थी ने उसे धमकाया और दुर्ग में विवाह पंजीयन कराने के लिए मजबूर किया। उसने कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। दबाव में, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ दुर्ग के कलेक्टर कार्यालय गई, जहाँ 3-4 अन्य लोग भी उपस्थित थे। अपीलार्थी ने कुछ कागज़ों पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर करवा लिए और उसे दोपहर 3 बजे तक वहीं रोककर रखा। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की कुछ तस्वीरें भी लीं। दिनाँक 22-11-2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को, कलेक्टर कार्यालय जाने से बचने के लिए, प्रत्यर्थी हड़ताल में शामिल होने के लिए धमधा गई, किंतु अपीलार्थी दोपहर 2 बजे मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचा और उसे बलपूर्वक दुर्ग के विवाह अधिकारी के पास ले गया, जिसने विवाह प्रमाणपत्र जारी कर दिया। प्रत्यर्थी दबाव में थी। अंत में, दिनाँक 23-11-2006 को, उसने यह पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई। उसका दावा है कि उसने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और न ही अपीलार्थी से विवाह के लिए सहमति दी। पक्षकारों के मध्य कथित विवाह प्रारंभ से ही अवैध है और विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र भी अवैध है। इसी आधार पर, प्रत्यर्थी ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 एवं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 तथा 12 के साथ विवाह और विवाह प्रमाणपत्र को अवैध घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी ने याचिका में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और विशेष रूप से यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी ज़िया ट्रैवल्स से यात्रा करता था और यात्रा के दौरान अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की मुलाक़ात हुई, जिसके बाद उनके मध्य संबंध बन गया। प्रत्यर्थी अपने मोबाइल नंबर 98279-20460 से अपीलार्थी के मोबाइल नंबर 93028-36432 और 94255-64469 पर एसएमएस भेजकर और बात करके संपर्क में रहता था। दिनाँक 3-8-2006 को, प्रत्यर्थी स्वयं कचहरी चौक के पास अपीलार्थी के पास आई और स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से गंडई गई। वहाँ

उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अन्य लोगों के समक्ष अपीलार्थी के साथ विवाह का शपथपत्र दिया। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की विवाह गंडई में हुई। प्रत्यर्थी ने विवाह की बात अपने माता-पिता को विवाह के पंजीयन होने तक न बताने का निर्णय किया। प्रत्यर्थी विवाह में शामिल थी और दिनाँक 3-8-2006 से ही उसे अपीलार्थी के साथ अपने विवाह की पूरी जानकारी थी। दिनाँक 21-11-2006 को, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ विवाह के पंजीयन हेतु कलेक्ट्रेट गई। दोनों ने विवाह के पंजीयन हेतु आवेदन दिया और विवाह अधिकारी ने अगली तारीख दिनाँक 22-11-2006 तय की। दिनाँक 22-11-2006 को, प्रत्यर्थी हड़ताल के सिलसिले में धमधा में थी। वहाँ से उसने एसटीडी बूथ से अपीलार्थी को फोन किया और विवाह के पंजीयन हेतु धमधा से कलेक्ट्रेट आई। वहाँ विवाह का पंजीयन हुआ और उन्हें पंजीयन प्रमाण पत्र दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया और धर्म परिवर्तन के उपरांत स्वेच्छा से उससे विवाह किया, अतः वह विवाह को शून्य घोषित करने की हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दावों के आधार पर विवाद्यक तय किए गए तथा पक्षकरों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, कुटुम्ब न्यायालय ने विवाह एवं विवाह प्रमाण पत्र को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया।

8. व्यवहार वाद क्रमांक 157**A**/2007 में, अपीलार्थी ने मुस्लिम विधि के अध्याय **VIII** के अधीन दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए याचिका प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने विशेष रूप से यह दावा किया कि प्रत्यर्थी मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी वैधानिक पत्नी है। विवाह दिनाँक 3-8-2006 को गंडई मदरसा में हुआ था। उभयपक्ष ने सहमति व्यक्त की थी कि विवाह पंजीयन के उपरांत वे शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। दिनाँक 22-11-2006 को दोनों के विवाह का पंजीयन हुआ, किंतु विवाह पंजीयन के उपरांत भी प्रत्यर्थी के माता-पिता उसे अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उसे घर में बंद रखा है। प्रत्यर्थी ने अपने माता-पिता के दबाव में विवाह को शून्य घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। अपीलार्थी अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार है। उपरोक्त आधार पर, अपीलार्थी की ओर से दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए वाद प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. प्रत्यर्थी ने आरोपों से इनकार किया है और स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह हिंदू है, उसने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन मुस्लिम विवाह का पंजीयन वैधानिक रूप से संभव नहीं था। उसने पहले ही विवाह को शून्य घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उभयपक्षकारों के मध्य कोई विवाह या विधिमान्य विवाह

नहीं हुआ था और अतः, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन विधिक रूप से ग्राह्य नहीं होगी।

10. पक्षकारों के दावों के आधार पर, विवाद्यक तय किए गए और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, कुटुम्ब न्यायालय ने व्यवहार वाद क्रमांक 157**A**/2007 और 158**A**/2007 में पारित दिनाँक 6-2-2008 के समान निर्णय और आज्ञप्ति में,दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के वाद को खारिज किया और विवाह को शून्य घोषित करने के वाद को स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता के तर्को को सुना, आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति तथा कुटुम्ब न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

12. अपीलार्थी के अधिवक्ता, फ़ौज़िया मिर्ज़ा का पूरजोर तर्क है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से विवाह किया है, दोनों वयस्क हैं और सहमति देने के लिए सक्षम हैं। प्रत्यर्थी पहले से अपीलार्थी को जानती थी, उनके संबंध अच्छे थे और उन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया था। प्रत्यर्थी स्वेच्छा अपीलार्थी के साथ गंडई गई, उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और धर्म परिवर्तन के उपरांत दिनाँक 3-8-2006 को मुस्लिम विधि (निकाह) के अनुसार अपीलार्थी से विवाह कर ली। विवाह के

उपरांत, उभयपक्ष ने दुर्ग में रजिस्ट्रार के सामने विवाह पंजीयन कराने हेतु आवेदन किया। अतंतः, दिनाँक 22-11-2006 को विवाह का पंजीयन हो गया और विवाह प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। किंतु प्रत्यर्थी के माता-पिता उसे उसके विवाह के दायित्व का निर्वहन करने नहीं दे रहे हैं और उसे बलपूर्वक अपने साथ रोककर रखे हुए हैं। अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि इस प्रकरण में, विवाह (निकाह) मुस्लिम विधि के अनुसार हुआ है, अतः हिंदू विधि के प्रावधानों के अधीन विवाह को अवैध घोषित करने का कोई भी आवेदन मान्य नहीं है और जब तक मुस्लिम विधि के अनुसार किया गया विवाह को मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक दोनों विधिक रूप से पति-पत्नी रहेंगे और प्रत्यर्थी को अपनी विवाह के दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. लिखित तर्क प्रस्तुत कर, अपीलार्थी ने उपरोक्त बातों को सही साबित किया है और विशेष रूप से यह कथन किया है कि मुस्लिम विधि के अनुसार संपन्न विवाह को हिंदू विधि या हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन नियंत्रित या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। पक्षकारों को विवाह विच्छेद हेतु उचित याचिका दायर करनी होगी या मुस्लिम पर्सनल लॉ में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कोई रीति-रिवाज या समारोह

नहीं है, जो व्यक्ति इस्लाम धर्म मानता है और उस पर विश्वास करता है, वह मुस्लिम हो जाता है।

14. अपीलार्थी के अधिवक्ता, फ़ौज़िया मिर्ज़ा ने **श्रीमती नीता कीर्ति देसाई विरुद्घ बिनो सैमुअल जॉर्ज**[1] के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यदि पति ईसाई है, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिवक्ता ने **सरला मुद्गल, प्रेसिडेंट, कल्याणी विरुद्घ भारत संघ**[2] प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम पति-पत्नी के मध्य विवाह न्याय, समता और सुविवेक के आधार पर तय किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने **लिली थॉमस विरुद्घ भारत संघ**[3] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि धर्म परिवर्तन करने से हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन या दो हिंदुओं के मध्य हुआ विवाह समाप्त नहीं होता। इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरा विवाह करने वाला हिंदू, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी होगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने से उसका पहला विवाह स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। अधिवक्ता ने **श्रीमती जैसिंथा कामथ**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 AIR 1998 Bombay 74
2 AIR 1995 SC 1531
3 JT 2000 (5) SC 617

विरुद्घ के. पद्मनाभ कामथ[4] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि ईसाई और हिंदू के मध्य संपन्न विवाह को समाप्त करने की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन स्वीकार नहीं की जा सकती।

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने अपील का पुरजोर विरोध किया और तर्क किया कि अविवादित तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी के साथ कथित विवाह से पूर्व, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी क्रमशः मुस्लिम और हिंदू थे। अपीलार्थी के दावे के अनुसार, जब प्रत्यर्थी जिया ट्रैवल्स से यात्रा करती थी, तब दोनों की मुलाकात हुई और वे एक-दूसरे को जानने लगे, किंतु उभयपक्ष ने यह दावा नहीं किया कि उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्होंने विवाह कर ली। उभयपक्ष ने यह दावा नहीं किया या यह साबित नहीं किया कि दिनाँक 3-8-2006 से पूर्व, प्रत्यर्थी के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, उन्होंने कभी विवाह करने का निर्णय, प्रस्ताव या सहमति दी थी। अपीलार्थी के कथनों और साक्ष्यों से स्पष्ट है कि दिनाँक 3-8-2006 को, अकस्मात, अपीलार्थी प्रत्यर्थी को दुर्ग से दूर राजनांदगांव जिले के गंडई ले गया, जहाँ दोनों रहते थे, प्रत्यर्थी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुस्लिम विधि के अनुसार अपीलार्थी से विवाह कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 AIR 1992 Karnataka 372

ली। किंतु विवाह के उपरांत भी, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के घर नहीं गई या दोनों एक साथ कहीं नहीं रहे। उनकी विवाह पूरी नहीं हुई और वे दिनाँक 20-11-2006 तक अपने पुराने जीवन में रहे। अपीलार्थी के अनुसार, दिनाँक 20-11-2006 को दोनों ने विवाह के पंजीयन हेतु आवेदन किया और दिनाँक 22-11-2006 को हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह पंजीकृत की गई, जो विधिक रूप से उचित नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अपीलार्थी के दावे के अनुसार, दोनों ने दिनाँक 21-11-2006 को विवाह के पंजीयन हेतु संयुक्त आवेदन किया और दिनाँक 22-11-2006 को उनका विवाह पंजीकृत की गया। दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि दोनों ने दिनाँक 20-11-2006 को आवेदन किया था, प्रकरण दिनाँक 22-11-2006 के लिए तय किया गया था और उभयपक्ष के अभिभावकों को सूचना भेजा गया था। यद्यपि, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत आवेदन से ज्ञात होता है कि शपथपत्र दिनाँक 21-11-2006 को बनाया गया था, विवाह अधिकारी को आवेदन 22-11-2006 को मिला, लेकिन विवाह के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में शपथपत्र बनाने से पूर्व ही दिनाँक 20-11-2006 को कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि पक्षकारों ने दिनाँक 22-11-2006 को आवेदन दिया था, तो अभिलेख से ज्ञात होता है कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को ही विवाह का पंजीयन हो गया था, जिससे यह साबित होता है कि पक्षकारों के अभिभावकों को पर्याप्त अवसर दिया गया था, भले ही कोई सूचना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जारी या भेजा नहीं गया हो या जारी या भेजने की संभावना न हो। इससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी, जो प्रभावशाली स्थिति में था, विवाह अधिकारी के साथ मिलीभगत करके दस्तावेज में कुटरचना की और विवाह प्रमाणपत्र हासिल कर लिया। यह स्पष्ट है कि यह एक जाली और कुटरचित दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया कि हिंदू विधि या मुस्लिम विधि के अनुसार उनके मध्य कोई विधिमान्य विवाह हुआ था। किसी भी साक्ष्य के अभाव और उपरोक्त परिस्थितियों में, पक्षकारों के मध्य कोई वैध या विधिमान्य विवाह नहीं हुआ और कुटुम्ब न्यायालय ने विवाह को शून्य घोषित करके और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की याचिका खारिज करके सही निर्णय दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि कुटुम्ब न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और 12 के अधीन था, परंतु वास्तव में यह कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 (1) (ख) के अधीन था, जिसके अन्तर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति की वैवाहिक प्रास्थिति घोषित करने के लिए सक्षम था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रत्यर्थी की बेहोशी का फायदा उठाकर, अपील करने वाले ने कुछ कागज़ों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। प्रत्यर्थी ने कभी भी विवाह या इस्लाम धर्म अपनाने के लिए सहमति नहीं दी थी। कथित विवाह के समय प्रत्यर्थी वयस्क थी और संविदा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के लिए सक्षम थी, और बिना सहमति के और धोखाधड़ी से हुई कथित विवाह में, पक्षकारों के मध्य कोई विवाह नहीं हुई। अतः, अपील करने वाले पर मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के अधीन विवाह विच्छेद/तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं था और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 (1) (ख) के अधीन वैवाहिक प्रास्थिति की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया वाद वैध था।

16. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता, डॉ. एन.के. शुक्ला ने **सरला मुद्गल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि विधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला विवाह, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन प्रयोग किए गए शब्दों के अनुसार शून्य होगा। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को न्याय, समता और सुविवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने लिली थॉमस प्रकरण (पूर्वोक्त) का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि धर्म परिवर्तन करने से हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन या दो हिंदुओं के मध्य सपन्न विवाह समाप्त नहीं होता। इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरा विवाह करने वाले हिंदू पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपराध का आरोप लगेगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने से प्रथम विवाह स्वतः समाप्त नहीं हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाता। अपीलार्थी ने भी इस बात पर सहमति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने **शाजी विरुद्घ गोपीनाथ**[5] के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि विवाह के अभाव में पति की निशानदेही पर जारी कोई भी प्रमाणपत्र शून्य व अकृत होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने **अब्दुर्रहीम विरुद्घ पद्मा**[6] के प्रकरण का भी अवलंब लिया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि दो मुस्लिम गवाहों की उपस्थिति से ही यह स्वतः ही किसी भी सिविल विवाह को किसी अन्य प्रकार के विवाह मे परिवर्तित हो जाएगा और न ही 'निकाह फसिद' में परिवर्तित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. पक्षकारों के तर्कों की विवेचना करने हेतु, हमने दोनों प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

18. उभयपक्ष के कथनों एवं साक्ष्यों के अनुसार, दोनों के मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार संपन्न नहीं हुआ है। अपीलार्थी मुस्लिम है और जिस समय कथित विवाह हुआ था, उस समय प्रत्यर्थी हिंदू थी। उभयपक्ष ने **सरला मुद्गल (पूर्वोक्त)** के प्रकरण का अवलंब लिया है, जिसमें मुस्लिम और हिंदू (इस्लाम धर्म अपनाने वाले) के मध्य वैवाहिक विवाद के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह

5 AIR 1995 Madras 161
6 AIR 1982 Bombay 341

अभिनिर्धारित किया था कि "ऐसे मामलों में न्यायालय को न्याय, समता और सुविवेक से कार्य करना चाहिए और न्यायाधीश को भी इसी आधार पर निर्णय करना चाहिए।" माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि

> "इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति और उसके गैर-मुस्लिम पति/पत्नी के मध्य वैवाहिक विवाद स्पष्ट रूप से "जहां पक्षकारगण मुस्लिम हों" ऐसा विवाद नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण में निर्णय का नियम "मुस्लिम पर्सनल लॉ" नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में न्यायालय को **न्याय, समता और सुविवेक** से कार्य करना चाहिए और न्यायाधीश को भी इसी आधार पर निर्णय करना चाहिए। हिंदू पति के इस्लाम धर्म अपनाने के उपरांत दूसरा विवाह न्याय, समता और सुविवेक का उल्लंघन है, अतः यह इस आधार पर भी अवैध होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 आकृष्ट होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थी ने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए वाद दायर करके अपने वैवाहिक प्रास्थिति और विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की वैधता को चुनौती दी है। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने हिंदू विधि के प्रावधानों के

अनुसार कुटुम्ब न्यायालय में वाद की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई भी पक्ष हिंदू विधि के अनुसार विवाह संपन्न होने से संबंधित कोई दावा या आरोप नहीं लगाता है, तो विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र से पक्षकारों को उनकी वैवाहिक प्रास्थिति से संबंधित कोई अधिकार नहीं मिलता। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र केवल पति-पत्नी के मध्य पहले से मौजूद विवाह का प्रमाण देता है। यद्यपि, प्रमाणपत्र जारी करना ही पति-पत्नी के मध्य विवाह संपन्न होने या उसका प्रमाण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. व्यवहार वाद क्रमांक 158**A**/2007 प्रत्यर्थी द्वारा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और 12 के साथ प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में विधि यह है कि प्रावधानों का मिथ्या नाम या अशुद्ध उद्धरण, सक्षम न्यायालय में अन्यथा वाद की पोषणीयता या याचिका को खारिज करने का आधार नहीं होगा।

21. अपीलार्थी के अभिवचनानुसार, प्रत्यर्थी ने उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के उपरांत उससे विवाह की। मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक विधिक संविदा है और इस पर संविदा के सभी नियम लागू होते हैं। मुल्ला के मुस्लिम विधि के सिद्धांतों के खंड 259 के अनुसार, मूर्तिपूजक या अग्निपूजक व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति

से विवाह नहीं कर सकता। मुल्ला के मुस्लिम विधि के सिद्धांतों का खंड 259 (1) निम्नानुसार है:

> "259. धर्म का अंतर—(1) एक मुस्लिम पुरुष विधिमान्य विवाह कर सकता है, न केवल एक मुस्लिम महिला से, बल्कि एक किताबिया (यहूदी या ईसाई) महिला से भी, लेकिन मूर्तिपूजक या अग्निपूजक महिला से नहीं। यद्यपि, मूर्तिपूजक या अग्निपूजक महिला से किया गया विवाह शून्य नहीं होता, बल्कि वह केवल अनियमित होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. मुल्ला के मुस्लिम विधि के सिद्धांतों के खंड 259 (1) में यह प्रावधान है कि एक मुस्लिम पुरुष मूर्तिपूजक या अग्निपूजक (यानी हिंदू) महिला से विवाह नहीं कर सकता। लेकिन, यदि कोई महिला इस्लाम धर्म अपना लेती है, तो मुस्लिम पुरुष उससे विवाह कर सकता है। मुस्लिम विधि में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कोई विशेष रस्म या समारोह का प्रावधान नहीं है। बस इतना काफी है कि वह इस्लाम धर्म को स्वीकार करे, यानी वह ईश्वर की एकता और पैगंबर मुहम्मद की पैगंबरत्व को माने।

23. मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक संविदा है। मुल्ला के 'प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ' के खंड 251 में विवाह की योग्यता के बारे में बताया गया है, जो निम्नानुसार है:

> **"251. विवाह की योग्यता-** (1) स्वस्थ मस्तिष्क वाला हर मुसलमान व्यक्ति, जो यौवन का प्राप्त कर चुका हो, विवाह की संविदा कर सकेगा।"

24. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10 'संविदा' शब्द से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **10. कौन से करार संविदाएं हैं-** सब करार संविदाएं हैं, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतन्त्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण प्रयोजन से किए गए हैं और तद्द्वारा अभिव्यक्तः शून्य पोषित नहीं किए गए हैं।
>
> इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात [भारत] में प्रवृत्त और तद्वारा अभिव्यक्तः निरसित न की गई किसी ऐसी विधि पर, जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साजियों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, या किसी ऐसी विधि

पर जो दस्तोवजों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित हो, प्रभाव न डालेगी।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के धारा 10 के अनुसार, संविदा करने में सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति अनिवार्य है।

25. 'स्वतंत्र सम्मति' शब्द की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के धारा 14 में निम्नानुसार दी गई है:

"14. **स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा-** सम्मति स्वतन्त्र तब कही जाती है जब कि वह

(1) न तो धारा 15 में यथापरिभाषित प्रपीडन द्वारा कारित हो;

(2) न धारा 16 में यथापरिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो;

(3) न धारा 17 में यथापरिभाषित कपट द्वारा कारित हो,

(4) न धारा 18 में यथापरिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो.

(5) न भूल द्वारा कारित हो, किन्तु यह बात धाराओं 20, 21 और 22 के उपबंधों के अध्यधीन है।

सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जब कि यह ऐसा प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती, तो न दी जाती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अपीलार्थी के कथनों के अनुसार, यह दो भिन्न-भिन्न धर्मों (मुस्लिम और हिंदू) के लोगों के मध्य का विवाह है। अपीलार्थी का आरोप है कि प्रत्यर्थी ने उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया और उसके धर्म परिवर्तन के बाद उससे विवाह किया। अतः, मुस्लिम विधि के अनुसार पक्षकारों के मध्य हुए इस विवाह को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के अनुसार ही विघटित किया जा सकता है। **श्रीमती नीता और श्रीमती जैसिंथा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, बॉम्बे और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ईसाई और हिंदू के मध्य हुए विवाह के विघटन हेतु हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. इस प्रकरण में, प्रत्यर्थी ने मुस्लिम विधि या हिंदू विधि के अनुसार अपने विवाह को समाप्त करने के लिए कोई वाद नहीं दायर किया, बल्कि उसने विवाह को शून्य घोषित करने का वाद दायर किया। उसके विवरण से ज्ञात होता है कि उसके अनुसार, उसने अपीलार्थी से कभी विवाह ही नहीं की थी, बल्कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी और अतः उसने यह वाद दायर किया। विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि असल में यह वाद उसके वैवाहिक प्रास्थिति को घोषित करने के लिए था।

28. प्रत्यर्थी ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और 12 के साथ-साथ विवाह को शून्य घोषित करने के लिए वाद दायर किया है। यह बात तय है कि इस तरह की घोषणा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और 12 के अधीन नहीं की जा सकती, लेकिन गलत प्रावधानों का हवाला देने या गलत नाम प्रयोग करने के आधार पर पक्षकारों के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालयों को पक्षकारों की दलीलें और मांगी गई अनुतोष देखनी होती है। गलत प्रावधानों के प्रयोग के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने **जे. कुमारदास नायर व एक अन्य विरुद्घ आईआरआईसी सोहन व अन्य**[7] प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि गलत प्रावधान का उल्लेख करना या कोई प्रावधान न लिखना, अपने आप में न्यायालय के अधिकारिता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि विधि में उसे यह अधिकार दिया गया है। अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय केवल यह देखेगा कि क्या उसे ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7 2009 AIR SCW 1921

29. उभयपक्ष ने कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय में वाद दायर किए हैं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारिता से संबंधित है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार, कुटुम्ब न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी विवाह की विधिमान्यता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक प्रास्थिति का निर्धारण करे। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के उप-धारा (1) के खंड (ख) में यह वर्णित है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> स्पष्टीकरण- इस उपधारा में निर्दिष्ट बाद और कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रकृति के बाद और कार्यवाहियों हैं, अर्थात्-
>
> (क) *** *** ***
>
> (ख) किसी व्यक्ति के विवाह की विधिमान्यता के बारे में या उसकी वैवाहिक प्रास्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई वाद या कार्यवाही

30. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार, कुटुम्ब न्यायालय विवाह की विधिमान्यता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक प्रास्थिति के बारे में घोषणा करने का अधिकार रखता है।

31. **सरला मुद्गल (पूर्वोक्त)** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार, दो भिन्न-भिन्न धर्मों के व्यक्तियों के मध्य विवाह की स्थिति में,न्यायालय को कार्रवाई करनी होती है और न्यायाधीश को न्याय, समता और सुविवेक के अनुसार प्रकरण का निर्णय करना होता है, न कि अपने व्यक्तिगत विधि के अनुसार।

32. यह बात तय है कि विवाह के कथित दावे से पहले उभयपक्ष भिन्न-भिन्न धर्मों से थे। प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है और साक्ष्य भी दिए हैं कि उसने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, न ही उसने अपीलार्थी से विवाह की। वह ज़िया ट्रैवल्स की बस में यात्रा करती थी, जिसमें अपीलार्थी चेकर था। दिनाँक 3-8-2006 को अपीलार्थी ने उसे कुछ चॉकलेट दीं। चॉकलेट खाने के बाद वह बेहोश हो गई और शाम को उसे होश आया। अपीलार्थी का दावा है कि प्रत्यर्थी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुस्लिम विधि के अनुसार उससे विवाह कर ली। मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह के लिए पहले सहमति ज़रूरी होती है। साक्ष्य देकर प्रत्यर्थी ने यह साबित कर दिया है कि उसने विवाह के लिए सहमति नहीं दी और न ही उसने इस्लाम धर्म अपनाया। अब यह अपीलार्थी पर है कि वह साबित करे कि प्रत्यर्थी ने इस्लाम धर्म अपनाया और मुस्लिम विधि के अनुसार उससे विवाह की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. इस प्रकरण में, दोनों अपील में अपीलार्थी के कथन और साक्ष्यों के अनुसार, कथित विवाह से पहले हिंदू धर्म की अनुयायी प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के साथ दुर्ग जिले से दूर गंडई गाँव गई। प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के साथ मोहम्मद रियासत नूरी (साक्षी-2) के पास गंडई मदरसा गई, जहाँ उन्होंने विवाह करने का अपना आशय बताया। मोहम्मद रियासत नूरी (साक्षी-2) के कथन के अनुसार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने निकाह के लिए आवेदन और शपथपत्र दिया। प्रत्यर्थी मुस्लिम नहीं थी, अतः उसने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी आवेदन दिया। इस पर उससे पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। इस साक्षी ने आगे बताया कि जमात के अन्य जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे। उसने प्रत्यर्थी निवेदिता से पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि वह अपीलार्थी से निकाह के लिए तैयार है और वह इस्लाम धर्म अपनाना चाहती है। इसके बाद, उसे कलमा सिखाया गया और उसका इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद, निकाह संपन्न किया गया और निकाहनामा (प्रदर्श डी-10) भी भरा गया। उसने यह भी बताया कि निकाह की कार्यवाही में निवेदिता का अभिभावक मोहम्मद आसिर कुरैशी था। मोहम्मद खान और शकील नियाजी निकाहनामा के साक्षी थे। यूसुफ भाई अपीलार्थी के अधिवक्ता थे। इस साक्षी ने आगे बताया कि मोहम्मद अय्यूब कुरैशी, जो पेशे से अधिवक्ता है और गंडई में वकालत करता है, ने निकाहनामा का हिंदी में अनुवाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया। उसके कथन के अनुसार वह उर्दू शिक्षक है और मौलवी का काम भी करता है। अपीलार्थी ने मोहम्मद रियासत नूरी (साक्षी-2) के कथन की पुष्टि की है।

34. अपीलार्थी के कथन के कण्डिका 1 के अनुसार, उभयपक्ष के मध्य विवाह दिनाँक 3-8-2006 को राजनांदगांव जिले के गंडई मदरसा में हुई थी। लेकिन मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) के कथन से यह स्पष्ट होता है कि कथित निकाह दुर्ग जिले के गंडई, थाना गंडई में हुआ था, न कि राजनांदगांव जिले के गंडई में। मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) ने अपने कथन में कहा है कि वह दुर्ग जिले के गंडई गाँव का निवासी है। इस साक्षी के कथन के अनुसार, विवाह दुर्ग जिले के गंडई में हुई थी, जबकि अपीलार्थी के कथन के अनुसार, यह विवाह राजनांदगांव जिले के गंडई में हुई थी। कथित विवाह के समय मौजूद लोग हिंदू नहीं, बल्कि मुस्लिम थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. सिविल वाद संख्या 158**A**/2007 में अपीलार्थी के शपथपत्र से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी स्कॉर्पियो गाड़ी से दुर्ग से गंडई तक अपीलार्थी के साथ गया था। मोहम्मद आसिर कुरैशी (अना.सा.) के कथन से ज्ञात होता है कि निकाह के समय वह भी मौजूद था। यह साक्षी ठाकुर पारा, खैरगढ़, जिला राजनांदगांव का निवासी है। कथित शपथपत्र (प्रदर्श डी-9) से ज्ञात होता है कि इसे मोहम्मद अशफाक कुरैशी

ने राजनांदगांव के चुईखदान/गंडई में एक नोटरी के सामने बनाया था। निकाहनामा (प्रदर्श डी-10) (हिंदी संस्करण प्रदर्श डी 1O सी की प्रतिलिपि) से ज्ञात होता है कि निकाह मोहम्मद रियासत नूरी, निवासी गंडई, पाण्डरिया, जिला राजनांदगांव ने संपन्न कराया था।

36. समग्र साक्ष्य शपथपत्र, अभिवचन, दस्तावेज से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को राजनांदगांव जिले के गंडई ले गया था, लेकिन कथित विवाह दुर्ग जिले के गंडई में हुई और निकाह मोहम्मद रियासत नूरी ने किया। दुर्ग जिले का गंडई और राजनांदगांव जिले का गंडई एक ही जगह नहीं है। प्रत्यर्थी और मोहम्मद आसिर कुरैशी (अना.सा.) को छोड़कर, बाकी लोग दुर्ग के निवासी नहीं थे, वे खैरागढ़, गंडई और अन्य जगहों के निवासी थे। प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से यह दलील दी और साक्ष्य पेश किया कि अपीलार्थी ने उसे दिनाँक 3-8-2006 को कुछ चॉकलेट दी और चॉकलेट खाने के बाद वह बेहोश हो गई। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी की स्वेच्छा विवाह करने का साक्ष्य देने का दायित्व पूरी तरह से अपीलार्थी पर था, लेकिन अपीलार्थी की ओर से पेश किया गया साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासी है। अपीलार्थी और अन्य गवाहों का व्यवहार स्वाभाविक नहीं है। मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) के कथन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी ने विवाह करने के आशय से ही इस्लाम धर्म अपनाया, उसने खुद इस्लाम धर्म नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनाया, बल्कि इस साक्षी ने उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। उसके कथन का संबंधित हिस्सा (पैरा 1) इस प्रकार है...

"कलमा पढ़ाकर मुसलमान धर्म स्वीकार करावाया,उसके बाद निकाह पढ़ाया ।"

37. कथित निकाह/विवाह के उपरांत, प्रत्यर्थी अपने घर वापस आ गई। वह एक दिन के लिए भी याचिकाकर्ता के साथ नहीं रही और उसका कथित विवाह संपन्न नहीं हुआ। वह पुनः अपने नियमित कर्तव्य पर जाने लगी।

38-मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) ने अपने कथन के कण्डिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उसके पास कोई ऐसा प्रमाणपत्र नहीं है जो यह साबित करे कि किसी मस्जिद ने उसे मौलवी नियुक्त किया है। इस साक्षी का कथन संदिग्ध है। वह राजनांदगांव जिले के गांव गंडई का नहीं, बल्कि दुर्ग जिले के गांव गंडई का रहने वाला है। उसके पास मौलवी के काम का कोई प्रमाणपत्र नहीं है और न ही उसे मौलवी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके कथन के अनुसार, दोनों विवाह करना चाहते थे और विवाह के लिए प्रत्यर्थी इस्लाम धर्म अपनाना चाहती थी, अतः उसने उसे *कलमा* पढ़कर इस्लाम धर्म में शामिल कर लिया। **इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कोई खास रस्म की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह इच्छा से होना चाहिए और इसका आशय अल्लाह की एकत्व और मुहम्मद की**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैगंबर होने की मान्यता को स्वीकार करना होना चाहिए, न कि विवाह जैसे दूसरे आशय के लिए।

39. एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की उपयुक्तता के विवाद्यक पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने लिली थॉमस प्रकरण में यह निर्णय दिया कि बिना किसी वास्तविक आस्था या विश्वास के, सिर्फ पहले विवाह से बचने या दूसरा विवाह करने के प्रयोजन से गैर-मुस्लिम का इस्लाम धर्म अपनाना अवैध है। उक्त निर्णय के कण्डिका 38 और 40 में यही व्यक्त किया गया है।

> "38. धर्म, दिल और दिमाग की गहराई से आने वाला विश्वास है। धर्म एक ऐसा विश्वास है जो इंसान की आध्यात्मिक प्रकृति को किसी अलौकिक सत्ता से जोड़ता है; यह ईमानदारी, विश्वास और भक्ति का विषय है। भक्ति का असली मतलब समर्पण है और यह पूजा का कार्य है। धर्म के सिद्धांतों में, विश्वास का मतलब धर्म के सत्य पर अटल भरोसा है। धर्म, विश्वास या भक्ति को आसानी से एक-दूसरे की जगह नहीं लिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदे के लिए कोई दूसरा धर्म अपनाता है, तो यह धार्मिक कट्टरता होगी। इस नज़रिए से, जो व्यक्ति मज़ाक में दूसरा धर्म अपनाता है, जहाँ कई शादियाँ करने की इजाज़त है, ताकि पहले की विवाह को खत्म कर पत्नी को छोड़ सके, उसे इस तरह धर्म का प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका प्रयोग किया जा सके। हर पर्सनल लॉ के अधीन विवाह एक पवित्र संस्था है। हिंदू धर्म में, विवाह एक संस्कार है। दोनों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है।"

40. मैं भी सेठी न्यायाधीश साहब से सहमत हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए कोई निर्देश केवल एक न्यायाधीश द्वारा सरला मुद्गल प्रकरण (पूर्वोक्त) में जारी नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, अहमदाबाद विमेंस एक्शन ग्रुप (एडब्लूएजी) विरुद्ध भारत संघ {(1997) 3 एससीसी 573} प्रकरण में इस न्यायालय ने सरला मुद्गल प्रकरण पर विचार किया था और यह माना था कि एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता के बारे में सवाल सरला मुद्गल प्रकरण में सीधे तौर पर नहीं उठा था। मैंने पहले ही 23-04-1980 को सरला मुद्गल प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दोहराया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उस प्रकरण में पेश अधिवक्ता ने निर्देश मिलने के बाद कहा था कि याचिका केवल एक अनुतोष तक सीमित थी, अर्थात् यह घोषणा कि यदि कोई गैर-मुस्लिम पुरुष किसी वास्तविक विश्वास परिवर्तन के बिना और केवल पहले विवाह से बचने या दूसरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवाह करने के प्रयोजन से मुस्लिम धर्म अपनाता है, तो धर्म परिवर्तन के बाद उसका कोई भी विवाह शून्य होगा।

40. यद्यपि मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) का कथन संदिग्ध है, लेकिन उनके कथन के अनुसार भी, प्रत्यर्थी ने उनसे अनुरोध किया कि वह अपीलार्थी से निकाह करना चाहती है, अतः वह इस्लाम धर्म अपनाना चाहती है। तब उन्होंने उसे कलमा पढ़ाया, उसका इस्लाम धर्म में धर्मांतरण किया और उसका निकाह भी करवाया। मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) के कथन के कण्डिका 1 का संबंधित हिस्सा इस प्रकार है:

'.....निवेदिता ने कहा कि मैं निकाह करना चाहती हूँ,अतः मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती हूँ।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. प्रत्यर्थी या अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया कि प्रत्यर्थी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और ईश्वर की एकता तथा मुहम्मद की पैगंबर होने की बात को स्वीकार कर लिया या उसने कभी इस्लाम धर्म में आस्था नहीं दिखाई। प्रत्यर्थी के कथन से ज्ञात होता है कि वह अपीलार्थी के साथ एक दिन भी नहीं रही, जिससे यह भी ज्ञात होता है कि वैवाहिक संबंध नहीं बन पाए है। मोहम्मद रियासत नूरी (आ.सा.-2) का प्रत्यर्थी के इस्लाम धर्म अपनाने के बारे में कथन यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भले ही इसे मान लिया

जाए, तब भी यह धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के प्रयोजन से था, न कि ईश्वर की एकता और मुहम्मद की पैगंबर होने की मान्यता के लिए। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **लिली थॉमस** प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था, ऐसा धर्म परिवर्तन अवैध था।

42. अभिलेख में यह भी कुछ नहीं है जो प्रत्यर्थी के ईश्वर की एकता और मुहम्मद की पैगंबर होने की मान्यता पर विश्वास को साबित करे। अतः, कथित निकाह में यह कमी है कि एक पक्ष गैर-मुस्लिम मूर्तिपूजक है और निकाह के समय नशे में होने का दावा करता है। एक पक्ष के नशे में होने का मतलब यह होगा कि कोई विधिमान्य विवाह अनुबंध नहीं हुआ, क्योंकि नशे में व्यक्ति सहमति देने के लिए सक्षम नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि अपीलार्थी अपनी नशे की हालत के बारे में प्रत्यर्थी के दावों और अपने पक्ष को साबित करने के दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है। यह दायित्व विशेष रूप से उसके प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी पर ही था। भले ही प्रत्यर्थी नशे में न भी हो, तब भी कथित निकाह फसाद निकाह होगा और जब तक वैवाहिक संबंध नहीं बन जाते, तब तक ऐसे विवाह का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। विवाह की वैधता के विषय पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **चंद पटेल विरुद्ध**

बिस्मिलला बेगम व एक अन्य[8] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाह संपन्न होने से पहले अनियमित विवाह का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता और ऐसा विवाह अपने आप में अवैध नहीं है, बल्कि किसी अन्य कारण से अवैध हो जाता है। उक्त निर्णय के कण्डिका 29 और 30 में यही व्यक्त किया गया है।

"29. कण्डिका 264, जो शून्य और अनियमित विवाहों के मध्य अंतर के बारे में है, इस प्रकार है:

"264. शून्य और अनियमित विवाहों के मध्य अंतर। —

(1) जो विवाह वैध नहीं है, वह शून्य या अनियमित हो सकता है।

(2) शून्य विवाह वह है जो अपने आप में अवैध है, उस विवाह पर प्रतिबंध हमेशा के लिए और पूर्ण होता है। इस प्रकार, रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या गोद लेने के कारण प्रतिबंधित किसी महिला से विवाह शून्य है, ऐसी महिला से विवाह पर प्रतिबंध हमेशा के लिए और पूर्ण होता है।

(3) अनियमित विवाह वह है जो अपने आप में अवैध नहीं है, बल्कि 'किसी अन्य कारण से' अवैध है, जैसे कि प्रतिबंध अस्थायी या सापेक्ष हो, या जब अनियमितता किसी आकस्मिक परिस्थिति से उत्पन्न होती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8 (2008) 4 SCC 774

है, जैसे गवाहों की अनुपस्थिति। इस प्रकार, निम्नलिखित विवाह अनियमित हैं, अर्थात्—

(क) बिना गवाहों के किया गया विवाह;

(ख) चार पत्नियों वाले व्यक्ति द्वारा पांचवीं पत्नी से विवाह;

(ग) इद्दत अवधि वाली महिला से विवाह;

(घ) धर्म के अंतर के कारण प्रतिबंधित विवाह;

(ड़) ऐसी महिला से विवाह जो पत्नी से इस तरह संबंधित हो कि यदि उनमें से कोई पुरुष होता, तो वे विधिक रूप से विवाह नहीं कर सकते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त विवाहों के अनियमित होने का कारण यह है, न कि शून्य, क्योंकि खंड (क) में अनियमितता एक आकस्मिक परिस्थिति से उत्पन्न होती है; खंड (ख) में, व्यक्ति अपनी चार पत्नियों में से एक को तलाक देकर आपत्ति दूर कर सकता है; खंड (ग) में, इद्दत की अवधि समाप्त होने पर बाधा समाप्त हो जाती है; खंड (घ) में, पत्नी के मुसलमान, ईसाई या यहूदी धर्म अपनाने या पति के मुस्लिम धर्म अपनाने से आपत्ति दूर हो सकती है; और खंड (ड़) में, व्यक्ति बाधा बनने वाली पत्नी को तलाक देकर आपत्ति दूर कर सकता है; उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले से एक बहन से विवाह कर चुका है

और फिर दूसरी बहन से विवाह करता है, तो वह पहली को तलाक देकर दूसरी से विवाह कर सकता है।"

30. कण्डिका 266 शून्य (बैटिल) विवाह के प्रभावों के बारे में है और इसमें कहा गया है कि शून्य विवाह कोई विवाह नहीं होता। इससे उभयपक्ष के मध्य कोई नागरिक अधिकार या दायित्व नहीं बनता। शून्य विवाह से उत्पन्न होने वाले संतान अवैध होते हैं। कण्डिका 267 अनियमित (फसीद) विवाह के प्रभावों के बारे में है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"267. अनियमित (फसीद) विवाह के प्रभाव—(1) अनियमित विवाह को कोई भी पक्ष, विवाह संपन्न होने से पहले या बाद में, अलग होने का आशय जताकर समाप्त कर सकता है, जैसे कि जब कोई एक पक्ष दूसरे से कहे, 'मैंने तुम्हें छोड़ दिया'। विवाह संपन्न होने से पहले अनियमित विवाह का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता।

(2) यदि विवाह संपन्न हो गया है—

(i) पत्नी को उचित या निर्धारित मेहर, जो भी कम हो, पाने का अधिकार है;

(ii) उसे इद्दत का पालन करना होगा, लेकिन तलाक या मृत्यु दोनों स्थितियों में इद्दत की अवधि तीन माह होती है;

(iii) विवाह से उत्पन्न होने वाले संतान वैध होते हैं। किंतु अनियमित विवाह, भले ही संपन्न हो जाए, पति-पत्नी के मध्य विरासत के पारस्परिक अधिकार नहीं बनाता (बैली, 694, 710)."

44. इस प्रकरण में, उभयपक्ष यह दावा नहीं करते कि विवाह पूरी हुई थी, और न ही परिस्थितियों से यह ज्ञात होता है कि उन्हें विवाह पूरी करने का कोई मौका मिला था। ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति या विवाह पूरी न होने की स्थिति में, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उभयपक्ष के मध्य निकाह नहीं हुआ था, और भले ही फसीद निकाह का अनुमान लगाया जाए, तो भी प्रत्यर्थी ने इसे स्पष्ट रूप से त्याग दिया है और यह विधिक रूप से मान्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. वैवाहिक प्रास्थिति से संबंधित साक्ष्यों का एक अन्य समूह विवाह के कथित पंजीयन की प्रक्रिया है।

46. प्रत्यर्थी ने अपने कथन में कहा कि उस पर दबाव था और अपीलार्थी ने दुर्ग में विवाह का पंजीयन करवा लिया। कुटुम्ब न्यायालय ने विवाह अधिकारी अमृत खलखो, डिप्टी कलेक्टर को न्यायालय के साक्षी के तौर पर पेश किया। उन्होंने अपने कथन में कहा कि उन्होंने दिनाँक 22-11-2006 को हिंदू विवाह अधिनियम

के अधीन उभयपक्ष के विवाह का पंजीयन किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्श पी-2 और पी-3 विवाह के अभिलेख की प्रतियां हैं। विवाह की कार्यवाही की आदेश पत्रक से ज्ञात होता है कि उभयपक्ष ने 20-11-2006 को शपथपत्र के साथ विवाह के पंजीयन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन शपथपत्र पी-4 और पी-5 से ज्ञात होता है कि वे दिनाँक 21-11-2006 को तैयार किए गए थे। विवाह के पंजीयन के आवेदन से ज्ञात होता है कि उन्होंने दिनाँक 21-11-2006 को आवेदन दिया था, लेकिन विवाह अधिकारी का प्रमाणपत्र बताता है कि उन्हें दिनाँक 22-11-2006 को चालान की प्रति के साथ विवाह के पंजीयन का आवेदन मिला था। आदेश पत्रक की प्रति पी-1 से ज्ञात होता है कि प्रकरण दिनाँक 22-11-2006 को तय था और उभयपक्ष के माता-पिता को सूचना भेजा गया था। प्रदर्श पी-1 के पिछले हिस्से से ज्ञात होता है कि दिनाँक 22-11-2006 को उभयपक्ष के माता-पिता उपस्थित नहीं थे और कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की गई थी, अतः विवाह का पंजीयन कर दिया गया और प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। यद्यपि, इस दस्तावेज में यह नहीं बताया गया है कि उभयपक्ष के माता-पिता को सूचना कब भेजा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. जब आवेदन दिनाँक 20-11-2006 को दायर नहीं किया गया था और केवल दिनाँक 22-11-2006 को दायर किया गया था, तो प्रदर्श पी-1 में आवेदन की

तारीख 22-11-2006 क्यों लिखी गई? प्रकरण दिनाँक 22-11-2006 को ही क्यों तय किया गया? पक्षकारों के माता-पिता को सूचना क्यों नहीं भेजा गया? और विवाह प्रमाणपत्र इतनी शीघ्रतापूर्वक, विशेषः दस्तावेज़ में छेड़छाड़ करके, क्यों जारी? इन प्रश्नों के जवाब न होने पर, विवाह का कथित पंजीयन और विवाह प्रमाणपत्र असली नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह संदेह से भरा है। प्रदर्श पी-1 से पी-5 से यह स्पष्ट होता है कि विवाह के पंजीयन के लिए आवेदन और शपथपत्रों के साथ दिनाँक 22-11-2006 को दायर किया गया था और उसी दिन गलत जानकारी दर्ज करके विवाह का पंजीयन कर दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन, विवाह अधिकारी एक मुस्लिम और एक हिंदू के मध्य विवाह का पंजीयन करने के लिए सक्षम नहीं था, अतः, विवाह का पंजीयन स्वयं अवैध है और पक्षकारों को कोई वैवाहिक प्रास्थिति नहीं देता। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पक्ष हिंदू विधि के अनुसार विवाह करने का कोई दावा या आरोप नहीं लगाता है, तो विवाह अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र पक्षकारों को उनके वैवाहिक प्रास्थिति के संबंध में कोई अधिकार नहीं देता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

48. **सरला मुद्गल (पूर्वोक्त)** में भिन्न-भिन्न धर्मों के लोगों के मध्य विवाह के दावे को तय करने के लिए निर्धारित विधि के आलोक में, दलीलों और साक्ष्यों की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है,

उसने अपीलार्थी से विवाह नहीं की है और अतः, वह वैवाहिक दायित्वों को निर्वाहन करने के लिए बाध्य नहीं थी। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसार, विवाह को अवैध घोषित करने और अपने वैवाहिक प्रास्थिति की घोषणा करने का उसका वाद स्वीकार्य था।

49. दावों और साक्ष्यों की गहन जांच के बाद, हम यह मानते हैं कि:

(क) दो भिन्न-भिन्न धर्मों के लोगों के मध्य विवाह के दावे के प्रकरण में, किसी भी पक्ष का व्यक्तिगत विधि लागू नहीं होगा और **सरला मुद्गल प्रकरण (पूर्वोक्त)** में अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को न्याय, समानता और सुविवेक के आधार पर निर्णय करना चाहिए;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) अपीलार्थी और प्रत्यर्थी मुस्लिम विधि के अधीन विधिक रूप से पति-पत्नी नहीं हैं और दोनों के मध्य कोई वैध निकाह नहीं हुआ;

(ग) प्रत्यर्थी ने कभी भी उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित नहीं किया;

और

(घ) कुटुम्ब न्यायालय उभयपक्ष के वैवाहिक प्रास्थिति का निर्णय करने के लिए सक्षम है।

50. यदि उभयपक्ष के मध्य किसी भी रूप में विधिमान्य विवाह नहीं हुआ है, तो कुटुम्ब न्यायालय ने पक्षकारों की वैवाहिक प्रास्थिति घोषित करके और अपीलार्थी द्वारा दायर दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के वाद को खारिज करने में कोई अवैधता कारित नहीं किया है।

51. उपरोक्त कारणों से, दोनों प्रथम अपीलें {प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 47/2008 और 128/2008} खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अपीलार्थी को स्वयं का और प्रत्यर्थी का वाद-व्यय वहन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. इस प्रकरण में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन कथित विवाह पंजीयन संदिग्ध प्रतीत होता है और इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच आवश्यक होगी। अतः दुर्ग के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच करें कि कथित विवाह इतनी शीघ्रतापूर्वक किस तरह पंजीकृत किया गया था। सुनवाई का पूरा अवसर देकर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, इस निर्णय से प्रभावित हुए बिना, दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

53. अधिवक्ता शुल्क अनुसूची के अनुसार।

54. तदनुसार, आज्ञप्ति तैयार की जाए।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By; Vikeshveri